न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

कैंम्प रीवा

पुनरीक्षण प्र.क..............

R5221-III/15

Rs 30/-

राजेन्द्र पसाद गर्ग तनय स्व. चन्द्रशेखरप्रसाद गर्ग निवासी ग्राम महदेवा कोठार तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0..निगराकार

बनाम

1. मुस0 रानी पत्नी स्व. बृजेन्द्र कुमार गर्ग
2. आशुतोष गर्ग तनय स्व. बृजेन्द्र कुमार गर्ग
3. अविनेश गर्ग तनय स्व.बृजेन्द्र कुमार गर्ग

तीनों निवासी ग्राम महदेवा कोठार तहसील ~~रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0~~ हाल निवास- गली नं. 6 A.H. स्कूल के पास, जवाहरनगर सतना, तह० रघु०, जिला- सतना (म०प्र०) —गैर निगराकारगण

निगरानी (पुनरीक्षण)विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 के प्रकरण क0 126 अ 27/ 2014–15 आदेश दिनांक 23.10.2015 निगरानी अंतर्गत धारा 50म0प्र0भू0रा0सं0

ओ.पी. त्रिपाठी ... 11-12-15

मान्यवर,

उपरोक्त सदंर्भ में निगराकार निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है–

प्रकरण के तथ्य

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार व गैरनिगराकारगणों के पति एवं पिता बृजेन्द्र कुमार आपस में सगे भाई थे। निगराकर व गैर निगराकारगणों के पति व पिता की पैतृक संपत्ति मौजा महदेवा कोठार तहसील रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0 में स्थित है जो उनके पिता चन्द्रशेखर प्रसाद गर्ग के समय से चली आ रही है चन्द्रशेखर प्रसाद की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त आराजियात

कमश––2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-S 24/III/15 .... जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	राजेन्द्र कार्यवाही तथा आदेश मु०० रानी	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.2.2016	यह निगरानी तह० रघुराज नगर के प्रकरण क्रमांक 126/अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 23-10-15 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री ओ.पी. त्रिपाठी के तर्कों पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं प्रश्नाधीन आदेश में अंकित निष्कर्षों का परिशीलन किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद सहखाते की भूमियों के बटवारे एवं कुछ भूमियां सहखाते में होने के बाद बिना बटवारे के विक्रय किए जाने से उत्पन्न हुआ होना परिलक्षित हो रहा है। आक्षेपित आदेश दिनांक 23-10-15 के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में विचारण-न्यायालय ने ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से वर्तमान में प्रभावित हुए हों। प्रकरण में मात्र अभी विवादित भूमियों की विभाजन सूची (फर्द बटवारा) तथा आवेदक (जो इस प्रकरण में अनावेदक है) के साक्ष्य हेतु नियत किए जाने के आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिए गये हैं। उपरोक्त परिस्थितियों में वर्णित विवेचना से यह स्पष्ट है कि विचारण-न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश विधि संगत एवं अहस्तक्षेप योग्य है जो स्थिर रखा जाता है। परिणाम स्वरूप निगरानी में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल द० हो। (सदस्य)	

[कृ. प. उ.